جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

अलहक़

मुबाहसा लुधियाना

हज़रत अक़दस मसीह मौऊद
जनाब मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी
तथा
मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी
के मध्य

नाम पुस्तक	: अलहक़ मुबाहसा लुधियाना
Name of book	: Alhaq Mubahasa Ludhiana
लेखक	: हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद क़ादियानी मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम
Writer	: Hazrat Mirza Ghulam Ahmad Qadiani Masih Mau'ud Alaihissalam
अनुवादक	: डा अन्सार अहमद पी.एच.डी आनर्स इन अरबिक
Translator	: Dr Ansar Ahmad, Ph.D, Hons in Arabic
टाईपिंग, सैटिंग	: तसनीम अहमद बट्ट
Typing Setting	: Tasneem Ahmad Butt
संस्करण तथा वर्ष	: प्रथम संस्करण (हिन्दी) अगस्त 2018 ई०
Edition. Year	: 1st Edition (Hindi) August 2018
संख्या, Quantity	: 1000
प्रकाशक	: नज़ारत नश्र-व-इशाअत, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर (पंजाब)
Publisher	: Nazarat Nashr-o-Isha'at, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur, (Punjab)
मुद्रक	: फ़ज़्ले उमर प्रिंटिंग प्रेस, क़ादियान, 143516 ज़िला-गुरदासपुर, (पंजाब)
Printed at	: Fazl-e-Umar Printing Press, Qadian, 143516 Distt. Gurdaspur (Punjab)

प्रकाशक की ओर से

हज़रत मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद साहिब क़ादियानी मसीह मौऊद व महदी मा'हूद अलैहिस्सलाम द्वारा लिखित पुस्तक का यह हिन्दी अनुवाद श्री डॉ० अन्सार अहमद ने किया है और तत्पश्चात मुकर्रम शेख़ मुजाहिद अहमद शास्त्री (सदर रिव्यू कमेटी), मुकर्रम फ़रहत अहमद आचार्य (इंचार्ज हिन्दी डेस्क), मुकर्रम अली हसन एम. ए. और मुकर्रम नसीरुल हक़ आचार्य ने इसकी प्रूफ़ रीडिंग और रीवियु आदि किया है। अल्लाह तआला इन सब को उत्तम प्रतिफल प्रदान करे।

इस पुस्तक को हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह ख़ामिस अय्यदहुल्लाहु तआला बिनस्रिहिल अज़ीज़ (जमाअत अहमदिया के वर्तमान ख़लीफ़ा) की अनुमति से हिन्दी प्रथम संस्करण के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है।

विनीत

हाफ़िज़ मख़दूम शरीफ़

नाज़िर नश्र व इशाअत क़ादियान

पुस्तक परिचय
मुबाहसा लुधियाना

मुबाहसा लुधियाना का आयोजन इस प्रकार पैदा हुआ कि जनवरी 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को पत्र लिखा कि मैंने आप की पुस्तिका 'फ़तह इस्लाम' के प्रूफ़ जब वह अमृतसर में छप रही थी रियाज़ हिन्द प्रेस से मंगवाकर देखे और पढ़वा कर सुने। फिर उस से इबारतों को नक़ल करके पूछा कि आपने इसमें यह दावा किया है -

> "मसीह मौऊद जिन के प्रलय से पूर्व आने का ख़ुदा तआला ने अपने पवित्र कलाम में सांकेतिक तौर पर तथा ख़ुदा के रसूल[स.अ.व.] ने स्पष्ट तौर पर अपने मुबारक कलाम में जो सिहाह में मौजूद है वादा दिया है, वह आप ही हैं जो मसीह इब्ने मरयम के मसील (समरूप) कहलाते हैं, न कि वह मसीह इब्ने मरयम जिन्हें सामान्य मुसलमान मसीह मौऊद समझते हैं। मसीह इब्ने मरयम को मसीह मौऊद समझने में सामान्य मुसलमानों ने ग़लती की है और धोखा खाया है तथा उन हदीसों को जो मसीह मौऊद के संबंध में सिहाह में आई हैं ध्यानपूर्वक नहीं देखा।"

पुनः लिखते हैं :-

"क्या इस दावे से आप का यही अभिप्राय है।
हां या न में उत्तर दें।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 5, फ़रवरी 1891 ई. को उत्तर देते हुए लिखा :-

"आप के प्रश्न के उत्तर में केवल "हां" को
पर्याप्त समझता हूं।"

पुनः 11 फ़रवरी को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने पत्र का उत्तर देते हुए लिखा :-

"आप यदि इस दावे में हज़रत ख़िज्र की भांति असमर्थ हैं तो मैं इसके इन्कार एवं विरोध में हज़रत मूसा की भांति विवश हूं। आपकी पुस्तक 'तौज़ीहुलमराम' तथा 'इज़ाला औहाम' मेरे विरोध को नहीं रोकेंगी। मुझे विश्वास है कि नक़ली या बौद्धिक तर्कों से आप और आपके अनुयायी आपका मसीह मौऊद होना सिद्ध न कर सकेंगे।"

हज़रत मसीह मौऊद ने इस पत्र का उत्तर देते हुए लिखा :-

"आप ने हज़रत मूसा का जो उदाहरण लिखा
है। स्पष्ट आयत का संकेत पाया जाता है कि ऐसा
नहीं करना चाहिए जैसा कि मूसा ने किया। इस
वृत्तान्त को पवित्र क़ुर्आन में वर्णन करने का उद्देश्य
भी यही है ताकि भविष्य में सत्य के अभिलाषी
अध्यात्म ज्ञानों तथा गुप्त विलक्षणताओं के खुलने के

इच्छुक रहें। हज़रत मूसा की भांति शीघ्रता न करें।"

16 फ़रवरी 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने अपने पत्र में पुस्तक 'तौज़ीह मराम' के प्राप्त होने की सूचना देते हुए लिखा कि :-

> "इस ने मेरी विरोधी राय को और अधिक सुदृढ़ कर दिया है। अनुमान कहता है कि ऐसा ही 'इज़ालतुल औहाम' होगा।"

21, फ़रवरी को हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इस पत्र का उत्तर देते हुए 5, फरवरी 1888 ई. की हस्तलिखित स्मरणिका से इस स्वप्न का वर्णन किया कि :-

> "मैंने स्वप्न में देखा कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने किसी मामले में विरोध करके कोई लेख छपवाया है और उसका शीर्षक मेरे बारे में "कमीना" रखा है। मालूम नहीं इसके क्या अर्थ हैं और मैंने वह लेख पढ़कर कहा है कि आप को मैंने मना किया था, फिर आप ने ऐसा लेख क्यों छपवाया।
>
> चूंकि यथाशक्ति स्वप्न की पुष्टि के लिए प्रयास करना सुन्नत है। इसलिए मैं आपको मना भी करता हूं कि आप इस इरादे से पृथक रहें। ख़ुदा तआला भली भांति जानता है कि मैं अपने दावे में सच्चा हूं और यदि सच्चा नहीं तो फिर اِنَّ يَّكُ كَاذِبًا की

ललकार आने वाली है।"

फिर 24, फ़रवरी 1891 ई. के पत्र में मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी ने लिखा :-

"अन्त में मैं भी आपको नसीहत करता हूं (जैसे कि आपने मुझे नसीहत की है) कि आप इस दावे से कि मैं मसीह मौऊद हूं, ईसा इब्ने मरयम मौऊद नहीं है पृथक हो जाएं। यह मामला आसमानी नहीं है और न यह इल्हाम रहमानी है। इस इल्हाम के दावे में यदि आप सच्चे होंगे तो फिर बुख़ारी तथा मुस्लिम इत्यादि सिहाह की पुस्तकें निरर्थक एवं व्यर्थ हो जाएंगी अपितु इस्लाम धर्म के अधिकतर सिद्धान्त तथा मुख्य मसअले बेकार हो जाएंगे।"

इस पत्र का हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कोई उत्तर न दिया और 3 मार्च को क़ादियान से लुधियाना चले गए। फिर 6 मार्च को मौलवी साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद[अ.] को लिखा कि -

"हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने लिखा था कि आप 9 मार्च 1891 ई. को लाहौर में आकर उलेमा की एक सभा में वार्तालाप करेंगे। आज ज्ञात हुआ कि आप अप्रैल माह में समारोह करना चाहते हैं। मैं आपको सूचित करता हूं कि अप्रैल माह में मैं हिन्दुस्तान में हूंगा। इसलिए यदि आप वार्तालाप

करना चाहते हैं तो अभी करें अन्यथा हम लोग जो
इरादा रखते हैं वह आप पर स्पष्ट कर चुके हैं।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 8 मार्च 1891 ई. को लुधियाना से इस पत्र का उत्तर दिया तथा यह वर्णन करके कि प्रत्यक्ष में मुझे वार्तालाप में कुछ लाभ ज्ञात नहीं होता। उलेमा की सभा का आयोजन करने के लिए कुछ शर्तें लिखीं। उदाहरणतया यह कि सभा केवल कुछ मौलवी लोगों तक सीमित न हो तथा बहस केवल सत्य को प्रकट करने के लिए हो तथा लिखित हो और इस बहस की सभा में वह इल्हामी गिरोह भी अवश्य सम्मिलित हो, जिन्होंने अपने इल्हामों द्वारा इस विनीत को नारकी ठहराया है तथा ऐसा काफ़िर जो कभी हिदायत नहीं पा सकता और मुबाहला का निवेदन किया है। इल्हाम के द्वारा से काफ़िर तथा नास्तिक ठहराने वाले तो मियां अब्दुर्रहमान साहिब लखूके हैं और नारकी ठहराने वाले मियां अब्दुलहक़ ग़ज़नवी हैं, जिनके इल्हामों को सत्यापित करने वाले तथा अनुयायी मियां मौलवी अब्दुल जब्बार हैं। अत: इन तीनों का बहस के जल्से में उपस्थित होना आवश्यक है ताकि मुबाहला का भी साथ ही निर्णय हो जाए इत्यादि।

यदि आप हिन्दुस्तान की ओर यात्रा करना चाहते हैं तो लुधियाना मार्ग में है, क्या उचित नहीं कि लुधियाना में ही यह जल्सा आयोजित हो अन्यथा जिस स्थान पर ग़ज़नवी लोग तथा मौलवी अब्दुर्रहमान (इस विनीत को नास्तिक और काफ़िर कहने वाले) इस जल्सा का आयोजन उचित समझें तो उस स्थान पर यह विनीत उपस्थित हो

सकता है। पुन: यह कि 23, मार्च 1891 ई. जल्से की तिथि निर्धारित हो गई है और यह तय पाया है कि अमृतसर के स्थान पर जल्सा हो।

9 मार्च 1891 ई. को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने लिखा :-

> "उलेमा के जल्से की प्रेरणा का प्रस्ताव मेरी ओर से नहीं हुआ। इसलिए मैं इन शर्तों का उत्तरदायी नहीं हो सकता जो विशेष तौर पर मेरे अस्तित्व से सम्बद्ध न हों।"

यह पत्राचार का क्रम 30 मार्च तक जारी रहा। मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब लिखते हैं कि :-

> "29, मार्च 1891 ई. को लुधियाना से एक पत्र पहुंचा जो न तो मिर्ज़ा साहिब के क़लम का लिखा हुआ था तथा न उस पर मिर्ज़ा साहिब के दस्तख़त अंकित थे तथा उसके साथ मिर्ज़ा साहिब का वह विज्ञापन पहुंचा जो 26, मार्च 1891 ई. को उन्होंने प्रकाशित किया था।"

इस पत्र पर मौलवी साहिब ने यह लिख कर वापस कर दिया कि :-

> "इस पत्र पर मिर्ज़ा साहिब के हस्ताक्षर नहीं हैं इसलिए वापस है।"

1, अप्रैल को हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने यह लिख कर कि "इस विनीत की इच्छानुसार है" उसे पुन: मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को वापस भेज दिया। जिसके उत्तर में मौलवी साहिब ने

लिखा कि -

"इस पत्र तथा इस विज्ञापन (दिनांक 26, मार्च) से आप ने मित्रता और भ्रातृत्व के संबन्धों को समाप्त कर दिया है तथा शत्रुतापूर्ण मुबाहसा की नींव को स्थापित और सुदृढ़ कर दिया। इसलिए हम भी आप से मित्रतापूर्ण एवं भाई-चारे वाली बहस अपितु व्यक्तिगत भेंट तक करना नहीं चाहते तथा शत्रुतापूर्ण मुबाहसा के लिए उपस्थित एवं तत्पर हैं।"*

तत्पश्चात् मौलवी साहिब ने "इशाअतुस्सुन्नः" में यह वर्णन करके कि अब "इशाअतुस्सुन्नः" केवल आपके दावों का खण्डन प्रकाशित करेगा और आपकी जमाअत को अस्त-व्यस्त करने का प्रयास करेगा तथा यह कि "इशाअतुस्सुन्नह का रीव्यू बराहीन आप को संभावित वली और मुल्हम न बनाता तो आप समस्त मुसलमानों की दृष्टि में अविश्वसनीय हो जाते तथा यह कि उसी ने आपको इस्लाम का समर्थक बना रखा था, लिखा -

"अतः इसी (इशाअतुस्सुन्नः) का कर्त्तव्य तथा उस के दायित्व में यह एक ऋण था कि उसने जैसा कि उसको पुराने दावे के अनुसार आकाश पर चढ़ाया था वैसा ही इन नवीन दावों के अनुसार उसको पृथ्वी पर गिरा दे और क्षतिपूर्ति करे और

* इशाअतुस्सुन्नः जिल्द - 12, पृष्ठ - 12

जब तक यह क्षतिपूर्ति न हो तब तक अत्यन्त आवश्यकता के बिना किसी दूसरे विषय को सामने न लाए।"[8]

हज़रत ख़लीफ़तुल मसीह प्रथम[रज़ि.] से वार्तालाप

इस के पश्चात् लाहौर के कुछ लोगों की इच्छानुसार हज़रत मौलवी हकीम नूरुद्दीन[रज़ि.] 13, अप्रैल 1891 ई. को लाहौर पहुंचे और मुंशी अमीरुद्दीन साहिब के मकान पर ठहरे। 14, अप्रैल की प्रातः मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी को भी बुलाया गया। जब वह पधारे तो मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने कहा कि आप को

"इस उद्देश्य से बुलाया है कि आप मिर्ज़ा साहिब के बारे में हकीम साहिब से वार्तालाप करें।"

मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने कहा कि अभीष्ट बहस से पूर्व आप से कुछ नियम स्वीकार कराना चाहता हूं। इन नियमों से सम्बन्धित बातचीत हुई। तत्पश्चात् अपने तौर पर उन लोगों ने आप से मसीह[अ.] की मृत्यु और उनके जीवित रहने तथा यह कि हज़रत ईसा[अ.] की मृत्यु सलीब पर नहीं हुई थी इत्यादि मामलों से सम्बन्धित बातें सुनीं और चूंकि आप को वापस जाना आवश्यक था, इसलिए आप लाहौर बुलाने वालों से आज्ञा लेकर वापस लुधियाना पहुंच गए। (इसकी विस्तृत रिपोर्ट का पंजाब गज़ट के परिशिष्ट दिनांक 25 अप्रैल 1891 ई. में उल्लेख है)

* इशाअतुस्सुन्नः जिल्द - 13, पृष्ठ 1-3

15 अप्रैल को मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को इस विषय का तार दिया :-

"तुम्हारे डेसाइपल (हवारी) नूरुद्दीन ने मुबाहसा आरंभ किया और भाग गया, उसे वापस भेजें या स्वयं आएं अन्यथा यह समझा जाएगा कि वह पराजित हुआ।"①

इस तार के उत्तर में हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 16 अप्रैल 1891 ई. को एक पत्र लिखा और एक विशेष व्यक्ति के द्वारा मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को लाहौर पहुंचाया। उस पत्र में आपने लिखा :-

"हे प्रिय ! विजय और पराजय ख़ुदा तआला के हाथ में है, जिसको चाहता है विजयी करता है और जिसको चाहता है पराजय देता है। कौन जानता है कि वास्तविक तौर पर विजयी होने वाला कौन है और पराजित होने वाला कौन है। जो आकाश पर तय हो गया है वही पृथ्वी पर होगा यद्यपि विलम्ब से ही हो।"

फिर लाहौर के वार्तालाप के बारे में लिखा :-

"मूल बात यह थी कि हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़ साहिब ने आदरणीय मौलवी नूरुद्दीन साहिब की

① इशाअतुस्सुन्नः नं. 2, जिल्द - 13, पृष्ठ - 46

सेवा में पत्र लिखा था कि मौलवी अब्दुर्रहमान यहां आए हुए हैं, हमने उन को दो,तीन दिन के लिए ठहरा लिया है ताकि उनके सामने कुछ सन्देहों का निवारण करा लें तथा यह भी लिखा कि हम इस सभा में मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को भी बुला लेंगे। अत: आदरणीय मौलवी साहिब हाफ़िज़ साहिब के आग्रह पर लाहौर पहुंचे और मुंशी अमीरुद्दीन साहिब के मकान पर उतरे। इस आयोजन पर हाफ़िज़ साहिब ने अपनी ओर से आप को भी बुला लिया। तब मौलवी अब्दुर्रहमान साहिब तो वार्तालाप के मध्य ही उठकर चले गए और जिन लोगों ने मौलवी साहिब को बुलाया था उन्होंने मौलवी साहिब के सम्मुख वर्णन किया कि हमें मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब का बहस करने का ढंग पसन्द नहीं आया। यह क्रम तो दो वर्ष तक भी समाप्त नहीं होगा। आप स्वयं हमारे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। हम मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब के आने की आवश्यकता नहीं देखते और न उन्होंने आप को बुलाया है। तब जो कुछ उन लोगों ने पूछा आदरणीय मौलवी साहिब ने उनकी भली भांति सन्तुष्टि कर दी। तत्पश्चात् हृदय की प्रफुल्लता के साथ हाफ़िज़ मुहम्मद यूसुफ़

साहिब तथा क़ुरैशी अब्दुल हक़ साहिब, मुंशी इलाही बख़्श साहिब, मुन्शी अमीरदीन साहिब और मिर्ज़ा अमानुल्लाह साहिब ने कहा — हमारी सन्तुष्टि हो गई और धन्यवाद किया तथा कहा कि नि:संकोच जाइए। जब बुलाने वालों ने कहा - हम मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को बुलाना नहीं चाहते हमारी सन्तुष्टि हो गई तो आप से क्यों अनुमति मांगते।

यदि आपकी यह इच्छा है कि बहस होनी चाहिए जैसा कि आप अपनी पत्रिका में लिखते हैं तो यह विनीत पूर्णरूप से उपस्थित है किन्तु केवल लिखित बहस होनी चाहिए तथा केवल दो पर्चे होंगे और बहस का विषय यह होगा कि मैं मसील-ए-मसीह हूं तथा यह कि हज़रत मसीह इब्ने मरयम मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं।"

मौलवी मुहम्मद हुसैन ने अपने पत्र में दोनों शर्तें स्वीकार करते हुए अपनी ओर से दो शर्तें बढ़ा दीं, जिन में एक यह थी कि

"मैं मुबाहसा से पूर्व कुछ नियमों की भूमिका बताऊं और आप से उन्हें स्वीकार कराऊं।"

और यह कि आप अपने नवीन दावों के समस्त प्रमाण लिख कर मुझे भेजें।

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने इस पत्र का तार्किक एवं

विस्तृत उत्तर लिखा परन्तु यह प्रस्तावित मुबाहसा भी न हो सका।[1]

फिर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने 3 मई को विज्ञापन प्रकाशित किया जिसमें उलेमा को मुबाहसा के लिए निमंत्रण दिया और उसमें मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना को भी सम्बोधित किया और लिखा कि यदि आप चाहें तो स्वयं बहस करें और चाहें तो अपनी ओर से मौलवी अबू सईद मुहम्मद हुसैन को बहस के लिए वकील नियुक्त करें।

मुबाहसा लुधियाना

इस विज्ञापन के प्रकाशित होने के पश्चात् मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना और हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम के मध्य मुबाहसा के लिए पत्राचार हुआ। मुबाहसा के विषय से सम्बन्धित हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने लिखा कि -

> "बहस का विषय मसीह[अ.] की मृत्यु और उनका जीवित रहना होगा क्योंकि इस विनीत का दावा इसी आधार पर है, जब आधार टूट जाएगा तो यह दावा स्वयं टूट जाएगा।"

मौलवी मुहम्मद हसन साहिब ने मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी के परामर्श के अनुसार यह उत्तर दिया कि -

> "आप के विज्ञापन में मसीह की मृत्यु और अपने मसीह मौऊद होने का दावा पाया जाता है।

① इशाअतुस्सुन्नः नं. 3, जिल्द - 13,

अत: मैं यह चाहता हूं कि प्रथम आपके मसीह मौऊद होने में बहस हो फिर हज़रत इब्ने मरयम की मृत्यु के बारे में।"

हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने उत्तर देते हुए कहा कि -

"इस बहस की मूल बात जनाब मसीह इब्ने मरयम की मृत्यु या जीवन है और मेरे इल्हाम में भी इसी बात को प्रमुखता दी गई है कि "मसीह इब्ने मरयम ख़ुदा का रसूल मृत्यु पा चुका है तथा उस के रंग में हो कर वादे के अनुसार तू आया है।"

अत: प्रथम और मूल बात इल्हाम में ही यही निश्चित की गई है कि मसीह इब्ने मरयम मृत्यु पा चुका है। अत: स्पष्ट है कि यदि आप हज़रत मसीह[अ.] का जीवित होना सिद्ध कर देंगे तो जैसा कि इल्हाम का प्रथम वाक्य झूठा होगा वैसा ही दूसरा वाक्य भी झूठा हो जाएगा, क्योंकि ख़ुदा तआला ने मेरे दावे के होने की शर्त मसीह का मृत्यु प्राप्त हो जाना वर्णन की है।

मैं इक़रार करता हूं और क़सम खाकर कहता हूं कि यदि आप मसीह का जीवित रहना सिद्ध कर देंगे तो मैं अपने दावे से पृथक हो जाऊंगा और इल्हाम को शैतानी इल्क़ा समझ लूंगा और तौबा करूंगा।[①]

इसके पश्चात् भी शर्तों से संबंधित पत्राचार होता रहा तथा मौलवी मुहम्मद हसन साहिब ने यह शर्त भी आवश्यक ठहराई कि मौलवी

① इशाअतुस्सुन्न: नं. 3, जिल्द - 13, पृष्ठ - 84

मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी वार्तालाप से पूर्व कुछ नियम आप से स्वीकार कराएंगे।

अत: 20 जुलाई 1891 ई. को मुबाहसा आरंभ हुआ और बारह दिन तक जारी रहा हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम को अन्तिम पर्चा 29 जुलाई को सुनाना था, जिसकी सूचना मौलवी मुहम्मद हुसैन बटालवी को भी दी गई, परन्तु उनके कहने पर 21 मार्च को सुनाया गया, जिस पर यह मुबाहसा समाप्त हुआ।

मुबाहसा का विषय

यह मुबाहसा (शास्त्रार्थ) उन्हीं प्राथमिक बातों पर होता रहा जो मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब स्वीकार कराना चाहते थे तथा मूल विषय मसीह[अ.] की मृत्यु और जीवन पर बहस से बचने के लिए आदरणीय मौलवी साहिब उन प्रारंभिक बातों पर बहस को लम्बा करते चले गए। बहस के अन्तर्गत यह बात रही कि हदीस की श्रेणी शरीअत का प्रमाण होने की हैसियत से पवित्र क़ुर्आन के समान है अथवा नहीं और यह कि बुख़ारी और मुस्लिम की हदीसें सब की सब सही हैं तथा पवित्र क़ुर्आन के समान पालन करने योग्य हैं या नहीं ? हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने बार-बार यही उत्तर दिया कि मेरा मत यह है कि ख़ुदा की किताब प्रमुख और इमाम है, जिस बात में हदीस के जो अर्थ किए जाते हैं ख़ुदा की किताब के विरोधी न हों तो वे अर्थ शरीअत के प्रमाण के तौर पर स्वीकार किए जाएंगे, परन्तु जो अर्थ क़ुर्आन के स्पष्ट आदेशों के विपरीत होंगे तो हम यथासंभव उसकी अनुकूलता और समानता के

लिए प्रयास करेंगे और यदि ऐसा न हो सके तो उस हदीस को छोड़ देंगे और प्रत्येक मोमिन का यही मत होना चाहिए कि ख़ुदा की किताब को बिना शर्त तथा हदीस को शर्त के तौर पर शरई प्रमाण ठहराए।

हमारा यह मत अवश्य होना चाहिए कि हम प्रत्येक हदीस तथा प्रत्येक कथन को पवित्र क़ुर्आन पर प्रस्तुत करें क्योंकि क़ुर्आन क़ौले फ़सल, फ़ुर्क़ान, मीज़ान (तुला) और प्रकाश है। इसलिए समस्त मतभेदों के निवारण के लिए उपकरण है और हदीस की प्रतिष्ठा और श्रेणी पवित्र क़ुर्आन की प्रतिष्ठा एवं श्रेणी को नहीं पहुंचती। अधिकतर हदीसें अधिक से अधिक दृढ़ अनुमान का लाभ देती हैं और यदि कोई हदीस निरन्तरता की श्रेणी पर भी हो तब भी पवित्र क़ुर्आन की निरन्तरता से उसकी कदापि समानता नहीं।

फिर हदीसें दो प्रकार की हैं। एक वे हदीसें जो कर्मों एवं धार्मिक कर्त्तव्यों (फ़राइज़) पर आधारित हैं। जैसे नमाज़, हज, ज़कात इत्यादि। ये समस्त कर्म परम्परागत नहीं अपितु उनके विश्वसनीय होने का कारण क्रियात्मक श्रृंखला है। अत: ऐसी हदीसें जिन्हें क्रियात्मक श्रृंखला से शक्ति प्राप्त हुई है एक विश्वास की श्रेणी तक और दूसरी हदीसें जो अतीत के वृत्तान्तों या भावी घटनाओं पर आधारित हैं उनको अनुमान की श्रेणी से बढ़कर स्वीकार नहीं किया जाएगा और ये वे हदीसें हैं जिन्हें क्रियात्मक श्रृंखला से कुछ भी संबंध नहीं। उनमें से यदि कोई हदीस पवित्र क़ुर्आन की आयत की विरोधी या विपरीत होगी तो वह निरस्त करने योग्य होगी।

किन्तु मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी इस विचार का खण्डन करते चले गए और कहते गए कि आप ने मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया और अपना मत यह वर्णन किया कि सहीहैन की समस्त हदीसें निश्चित तौर पर सही तथा बिना विलम्ब, शर्त एवं बिना विवरण अमल करने और आस्था रखने योग्य हैं। मुसलमानों को क़ुर्आन पर ईमान लाना यही शिक्षा देता है कि जब किसी हदीस का सही होना रिवायत के नियमों के अनुसार सिद्ध हो तो उसे पवित्र क़ुर्आन के समान अमल करने योग्य समझें।

जब सही हदीस क़ुर्आन की सेवक और व्याख्याकार और क्रियात्मक अनिवार्यता में क़ुर्आन के समान है तो फिर क़ुर्आन उस के सही होने का हकम, मापदण्ड एवं कसौटी क्योंकर हो सकता है। अत: सुन्नत क़ुर्आन पर क़ाज़ी (निर्णायक) है और क़ुर्आन सुन्नत का क़ाज़ी नहीं।

परन्तु हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने घोषणा की कि -

पवित्र क़ुर्आन اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ
का कभी अवनतिशील न होने वाला ताज अपने सर
पर रखता है और تِبْيَانًا لِّكُلِّ شَيْءٍ के विशाल और
सुसज्जित सिंहासन पर विराजमान है।"

अन्तिम पर्चे में हज़रत मसीह मौऊद[अ.] ने यह लिखा कि मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब शास्त्रार्थ के मूल विषय अर्थात् मसीह[अ.] की मृत्यु और जीवन से पलायन कर रहे हैं तथा निरर्थक एवं असंबंधित बातों

में समय नष्ट किया है। अब इन प्राथमिक बातों को अधिक लम्बा करना उचित नहीं। हां यदि मौलवी साहिब मूल दावे में जो मैंने किया है आमने सामने तर्क प्रस्तुत करने से बहस करना चाहें तो मैं उपस्थित हूं तथा कहा कि मैं उनके मुकाबले पर निर्णय की इस पद्धति पर सहमत हूं कि चालीस दिन निर्धारित किए जाएं और प्रत्येक सदस्य ख़ुदा तआला से अपने लिए कोई आकाशीय विशेषता मांगे। जो सदस्य इसमें सच्चा निकले और कुछ परोक्ष की बातों को प्रकट करने में ख़ुदा तआला के समर्थन उसके साथ हो जाएं वही सच्चा ठहरा दिया जाए।

हे दर्शक गण ! इस समय अपने कानों को मेरी ओर करो कि मैं महावैभवशाली ख़ुदा की क़सम खाकर कहता हूं कि यदि हज़रत मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब चालीस दिन तक मेरे मुकाबले पर ख़ुदा तआला की ओर ध्यान करके वे आकाशीय निशान या परोक्ष के रहस्य दिखा सकें जो मैं दिखा सकूं। तो मैं स्वीकार करता हूं कि जिस शस्त्र से चाहें मेरा वध कर दें और जो क्षतिपूर्ति चाहें मुझ पर लगा दें।

"दुनिया में एक नज़ीर (डराने वाला) आया
परन्तु दुनिया ने उसे स्वीकार न किया लेकिन
ख़ुदा उसे स्वीकार करेगा और बड़े शक्तिशाली
आक्रमणों से उसकी सच्चाई प्रकट करेगा।"

मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब की बैअत

जब मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी शास्त्रार्थ (मुबाहसा) के उद्देश्य से लुधियाना आए तो एक दिन मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब

ने कहा - कि हज़रत मसीह[अ.] के जीवन पर क़ुर्आन में कोई आयत मौजूद भी है ? मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी बोले कि बीस आयतें मौजूद हैं। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा फिर मिर्ज़ा साहिब के पास जाकर बात करूं। उन्होंने कहा - हां जाओ। उन्होंने जाकर हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम से कहा कि यदि पवित्र क़ुर्आन में हज़रत ईसा के जीवित होने की आयत मौजूद हो तो मान लोगे। हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने कहा कि हां हम मान लेंगे। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा- एक दो नहीं इकट्ठी बीस आयतें हज़रत ईसा के जीवित रहने पर ला दूंगा। आपने कहा - तुम एक ही आयत ला दोगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा और अपने मसीह मौऊद होने का दावा त्याग दूंगा और तौबा करूंगा परन्तु स्मरण रहे कि एक आयत भी हज़रत ईसा[अ.] के जीवित रहने की नहीं मिलेगी। जब उन्होंने मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी से इसकी चर्चा की और कहा कि मिर्ज़ा को हरा आया हूं और मैंने मिर्ज़ा से स्वीकार करवा लिया है कि यदि मैंने मसीह[अ.] के जीवन की आयतें लाकर दे दीं तो वह तौबा कर लेगा। अत: बीस आयतें मुझे शीघ्र निकाल कर दे दो। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने कहा - तुमने हदीसें प्रस्तुत नहीं कीं। कहा कि हदीसों की बात ही नहीं प्रमुख पवित्र क़ुर्आन है। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी घबरा कर खड़े हो गए और पगड़ी सर से उतार कर फेंक दी और कहा कि तू मिर्ज़ा को हराकर नहीं आया हमें हराकर आया है तथा हमें लज्जित किया। मैं

एक लम्बे समय से मिर्ज़ा साहिब को हदीस की ओर ला रहा हूं और वह पवित्र क़ुर्आन की ओर मुझे खींचता है। पवित्र क़ुर्आन में यदि कोई आयत मसीह[अ.] के जीवित होने की होती तो हम कभी की प्रस्तुत कर देते। इसलिए हम हदीसों पर ज़ोर दे रहे हैं, पवित्र क़ुर्आन से हम पार नहीं निकल सकते। पवित्र क़ुर्आन तो मिर्ज़ा के दावे को हरा भरा करता है[①] - मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा - यदि पवित्र क़ुर्आन तुम्हारे साथ नहीं है और वह मिर्ज़ा साहिब के साथ है तो फिर मैं भी तुम्हारा साथ नहीं दे सकता। इस स्थिति में मिर्ज़ा साहिब का साथ दूंगा। यह धार्मिक मामला है जिस ओर क़ुर्आन उस ओर मैं।

इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब बटालवी ने अपने साथ वाले मौलवी साहिब से सम्बोधित होते हुए कहा - यह निज़ामुद्दीन तो अल्पबुद्धि व्यक्ति है इसे अबू हुरैरा वाली आयत निकाल कर दिखा दो। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने कहा - कि मुझे अबू हुरैरा वाली आयत नहीं चाहिए, मैं तो शुद्ध अल्लाह तआला की आयत लूंगा। इस पर दोनों मौलवियों ने कहा - हे मूर्ख ! आयत तो अल्लाह तआला की है परन्तु अबू हुरैरा ने उसकी व्याख्या की है। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब ने उत्तर दिया मुझे व्याख्या की आवश्यकता नहीं। मिर्ज़ा साहिब की मांग तो क़ुर्आन की आयत की है। अतः मुझे तो मसीह[अ.] के जीवन पर क़ुर्आन की स्पष्ट आयत चाहिए। इस पर मौलवी मुहम्मद हुसैन साहिब को विश्वास हो गया कि यह व्यक्ति तो हाथ से गया। उन दिनों

① "तज़किरतुल महदी" लेखक हज़रत पीर सिराजुल हक़ साहिब नो'मानी।

मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब मौलवी मुहम्मद हसन साहिब रईस लुधियाना के यहां भोजन किया करते थे। इसलिए मौलवी साहिब मुहम्मद हुसैन बटालवी उनसे सम्बोधित होकर बोले कि आप इस की रोटी बन्द कर दें। मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब यह सुनकर तुरन्त खड़े हो गए और व्यंग के तौर पर हाथ जोड़ कर बोले कि

"मौलवी साहिब ! मैंने पवित्र क़ुर्आन छोड़ा,
रोटी मत छुड़ाओ।"

इस पर मौलवी बटालवी साहिब बहुत लज्जित हुए और मौलवी निज़ामुद्दीन साहिब हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम की सेवा में उपस्थित हुए और समस्त वृत्तान्त सुना कर कहा - अब तो जिधर पवित्र क़ुर्आन है उधर मैं हूं। इसके पश्चात् आपने बैअत कर ली।

विनीत

जलालुद्दीन शम्स